



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/प्रति./विविध/2017/ 555 जयपुर, दिनांक 15-2-18

आदेश

निम्नलिखित विकास अधिकारियों की सेवानिवृत्ति निकट भविष्य में होने के कारण इनकी विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम विकास अधिकारी	पदस्थापित पंचायत समिति का नाम	पैतृक विभाग
1.	श्री अर्जुन लाल मोरवाल	खींवसर (नागौर)	कृषि
2.	श्री वीरेन्द्र जैन	खमनोर (राजसमन्द)	शिक्षा
3.	श्री रमेश चन्द वर्मा	हिण्डौन (करौली)	शिक्षा

उक्त अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग में प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमादित है।

(इकबाल खत्री)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त उदयपुर/अजमेर/भरतपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
12. जिला कलेक्टर राजसमन्द/करौली/नागौर।
13. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमन्द/करौली/नागौर।
14. विकास अधिकारी खींवसर/खमनोर/हिण्डौन।
15. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
16. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
17. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)